

क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 100 पौधों का लौह गैबियन वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

पौधों का आकार- 6-7 फीट (प्रजाति - कचनार, करंज, छतवन इत्यादि।

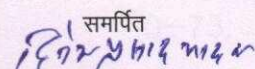
देशांतर अंतिम - E- 87° 16' 26"

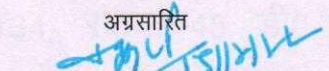
[illegible]

20.4.0	पंचम वर्ष (चतुर्थ वर्ष सम्पोषण)							
20.4.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
	कुल-							22380
20.5.0	षष्ठम् वर्ष (पंचम वर्ष सम्पोषण)							
20.5.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
	कुल-							22380
20.6.0	सप्तम् वर्ष (षष्ठम् वर्ष सम्पोषण)							
20.6.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
20.6.5	पैटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गैबियन	100			0	100	5000
	कुल-							27380
20.7.0	अष्टम् वर्ष (सप्तम् वर्ष सम्पोषण)							
20.7.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
	कुल-							22380
20.8.0	नवम् वर्ष (अष्टम् वर्ष सम्पोषण)							
20.8.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
	कुल-							22380
20.9.0	दसम वर्ष (नवम् वर्ष सम्पोषण)							
20.9.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	373	0	0	22380
	कुल-							22380
	कुल योग-							715390

योजना का सारांश-				
क्र० सं०	राशि	वृद्धि	कुल	अभ्युक्ति
1	400350	0	400350	
2	126000	12600	138600	10 प्रतिशत
3	22380	4476	26856	20 प्रतिशत
4	27380	8214	35594	30 प्रतिशत
5	22380	8952	31332	40 प्रतिशत
6	22380	11190	33570	50 प्रतिशत
7	27380	16428	43808	60 प्रतिशत
8	22380	15666	38046	70 प्रतिशत
9	22380	17904	40284	80 प्रतिशत
10	22380	20142	42522	90 प्रतिशत
	715390	115572	830962	

- (1) क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन तैयार करते समय वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी दर में संभावित वृद्धि के कारण द्वितीय वर्ष से क्रमशः 10/20/30/40/50/60/70/80/90 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है।
- (2) चतुर्थ वर्ष से दसम वर्ष के लिये पशुरक्षक पर व्यय, संबंधित वन संरक्षक, महोदय के अनुमोदनोपरांत किया जायेगा।
- (3) प्रथम वर्ष सम्पोषण में 500 से कम पौधे होने पर भी कम से कम 500 पौधे के लिए निर्धारित दर पर प्राक्कलन तैयार कर समर्पित किया गया।

समर्पित

 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
 फारबिसगंज।

अग्रसारित

 वन प्रमंडल पदाधिकारी
 अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

कुल 8,30,962/- रुपये मात्र (आठ लाख तीस हजार नौ सौ बासठ) के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
 अररिया वन प्रमंडल, अररिया।
